राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3340–पीबीआर / 14 जिला भोपाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–10–2014	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28–1–2013 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी दिनांक 22–9–14 को लगभग डेड़ वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है, और विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है । जबकि आवेदक की ओर से विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत पृथक से आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था । यद्यपि आवेदक की ओर से निगरानी मेमों के पैराग्राफ 4 में उल्लेख किया गया है कि अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी उसे दिनांक 20–8–2014 को तहसील न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई । निगरानी मेमों में उक्त उल्लेख करना पर्याप्त नहीं है, कारण विलम्ब क्षमा किए जाने का प्रावधान अवधि विधान की धारा 5 में दिया गया है, इसलिए उक्त अधिनियम के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाना वैधानिक दृष्टि से आवश्यक है । इसके अतिरिक्त अपर कलेक्टर के न्यायालय में प्रचलित कार्यवाही एवं पारित आदेश के संबंध में आवेदक द्वारा लगभग डेड़ वर्ष तक जानकारी लेने का प्रयास नहीं करना घोर लापरवाही का द्योतक है । दर्शित परिस्थितियों में इस न्यायालय द्वारा विलम्ब क्षमा किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं होने के कारण यह निगरानी प्रथम दृष्टया अवधि बाह्य होने से अग्राह्य की जाती है। **(स्वदीप सिंह)** अध्यक्ष	31/10/14

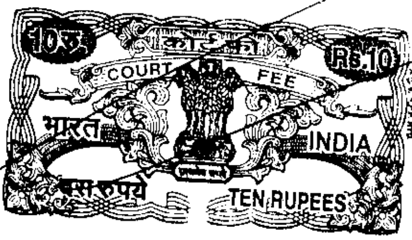

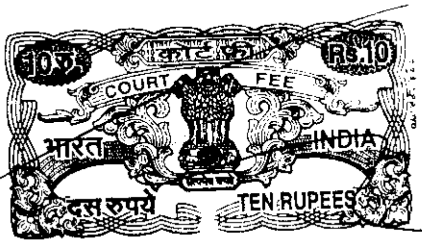

102

समक्ष राजस्व मण्डल ग्वालियर, भोपाल केम्प (म.प्र.)

R- 3340-PBR/14 **पुनरीक्षण याचिका कमांकः ..../2014**

श्री वीरेन्द्र कुमार मालवीय आत्मज श्री बालमुकुन्द मालवीय,
आयु–56 वर्ष, निवासी–मकान नंबर–60/36 पुलिस लाईन,
जांहगीराबाद, भोपाल (म.प्र.) ---------- **आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता**

विरूद्ध

श्रीमती पद्मश्री मिश्रा पत्नी श्री सुधीर मिश्रा,
आयु–वयस्क, निवासी–सीहोर, जिला–सीहोर (म.प्र.) ---------- **अनावेदिका/उत्तरदाता**

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता–1959

आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा मान्नीय न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रकरण कमांक–44/निगरानी/11–12 में पारित आदेश दिनांक 28/01/2013 पक्षकारगण (श्रीमती पद्मश्री मिश्रा विरूद्ध श्री वीरेन्द्र कुमार मालवीय) से दुखित होकर यह पुनरीक्षण याचिका मान्नीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तथ्यों पर प्रस्तुत की जा रही है :–